

कार्यालय जनपद पंचायत पिपलौदा, जिला-रतलाम (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005

(17 बिन्दुवार विवरण)

बिन्दु क्रमांक – 1. (संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य)

(1) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 50 के प्रावधानों में उल्लेखित कृत्य अनुसार का कार्य प्रमुखतयः अधिनियम और उसके अधीन नियमों के उपबधों एवं ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए जाए, अध्यधीन रहते हुए, जनपद पंचायत का यह कर्तव्य है कि वह जनपद पंचायत निधि में गुंजाइश हो, खण्ड में निम्नलिखित कार्य के लिये युक्तियुक्त व्यवस्था करेगी:-

(अ) रोजगार मूलक –

(अर्धोसंरचना निर्माण के साथ ग्रामीण मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना)

- (1) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- (2) 12 वॉ वित्त अनुदान योजना
- (3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- (4) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम
- (5) जनभागीदारी योजना

(ब) हितग्राही मूलक –

- (1) स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना
 - (अ) स्वयं सहायता समूहों का गठन
 - (ब) स्वयं सहायता समूहों को रोजगार उपलब्ध कराना
- (2) इन्दिरा आवास योजना –
 - (अ) नवीन आवास
 - (ब) आवास उन्नयन
- (3) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- (4) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- (5) राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना
- (6) समग्र स्वच्छता अभियान

(स) अन्य कार्य –

- (1) महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में सहायता की व्यवस्था करना।
- (2) स्थानीय तीर्थ यात्राओं तथा त्यौहारों में सम्बन्ध में व्यवस्था करना।
- (3) सार्वजनिक नोघाटों का प्रबंध करना।
- (4) सार्वजनिक बाजारों मेलों तथा प्रदर्शनीयों का प्रदर्शन करना।
- (5) राज्य सरकार या जिला पंचायत के अनुमोदन से कोई अन्य कृत्य करना।

(2) कार्यालय का सरचनात्मक ढांचा -

कार्यालय जनपद पंचायत पिपलौदा (म.प्र.)



मुख्य कार्यपालन अधिकारी - (1)




पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक - (1)
(अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)



उपयंत्रि - (2)



सहायक विकास विस्तार अधिकारी - (2)



लेखापाल	सहायक वर्ग-2	सहायक वर्ग-3	भृत्य	अन्य			
				लिपिक (आ.मद)	वाहन चालक	चौकीदार	फर्राश
0	3	3	2	0	1	0	0

क्रं	नाम	पद	परिलब्धियाँ	कर्तव्य
1	गोवर्धनलाल मालवीय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	5500-9000	प्रभारी जनपद पंचायत
2	एम.एल.चौहान	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	4000-6000	कार्यालय में मु.का.अ.अ.की अनुपस्थिति में प्रभारी अधिकारी का दायित्व निर्वहन ग्राम पंचायतों का निरीक्षण,आडिट-तामिली,विभागीय योजनाओं का पर्यवेक्षण
3	जगदीशचन्द्र चतुर्वेदी	उपयंत्री	8000-12000	निर्माण कार्यो के प्राक्लन तैयार करना,तकनीकी मार्गदर्शनदेना,मूल्यांकन करना
4	संजयकुमार मेहर	उपयंत्री	5000-8000	निर्माण कार्यो के प्राक्लन तैयार करना,तकनीकी मार्गदर्शन देना,मूल्यांकन करना
5	दिलीप मेहता	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	आवण्टित क्षेत्र में स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन
6	मदनलाल सांसरी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	आवण्टित क्षेत्र में स्वर्ण जयंति ग्राम स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन
7	केलाश हेमावत	सहायक वर्ग -3	4000-6000	इन्दिरा आवास,11सूत्रीय
8	सतीश अवस्थी	सहायक वर्ग -2	4000-6000	लेखाशाखा विकास,स्थापना बजट,मासिक,त्रैमासिक व्यय पत्रक व ए.जी. ऑडिट एवं पेयजल परिवहन
9	कैलाशचन्द्र मालवीय	सहायक वर्ग -2	4000-6000	विकास लेखा कार्यालय में केश बुक चेक करना आवक/जावक शाखा का प्रतिदिन चेक करना
10	महेन्द्रसिंह गिरनार	सहायक वर्ग -2	4000-6000	जनपद लेखा,जनपद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जिला व जनपद, ग्राम कोश जनपद की बैठक,खनिज शाखा, मत्स्य पालन,ऑडिट कंडिका, स्टॉक भण्डार,जन संपर्क,संविदा शिक्षक मातृत्व सहायता,पंचायत कर्मी पेयजल
11	रामकिशन चौहान	सहायक वर्ग - 3	3050-4590	सांसद,विधायक निधि,ग्राम न्यायालय ग्राम सचिवालय,गोकुल ग्राम,पंचज अभियान,पानी रोको,मध्यान्ह भोजन पंचायत निर्वाचन,एव पंचायत समाज शिक्षा संगठक द्वारा सौंपे गए कार्य
12	योगेश विश्वकर्मा	सहायक वर्ग - 3	3050-4590	10वॉ 11वॉ 12वॉ वित्त,राष्ट्रीय परिवार सहायता,सामाजिक सुरक्षा पेंशन,समग्र स्वच्छता अभियान ,विकलाग छात्रवृति,एस.जी.एस.वाय,

				स्वर्ण जयन्ति स्व रोजगार योजना, इन्द्रा आवास,टाईपिंग कार्य,आवक जावक,एवं समय समय पर सोपे गए कार्य
1 3	राधेश्याम चौहान	वाहन चालक	3050-4590	वाहन चालक
1 4	शंकरलाल आसवानी	भृत्य	2550-3200	विकास लेखा एवं स्थापना कक्ष के साथ बाहरी डाक वितरण
1 5	लालचन्द राठोर	भृत्य	2550-3200	विकास लेखा एवं स्थापना कक्ष के साथ बाहरी डाक वितरण

बिन्दु क्रमांक – 3 कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम,विनियम,अनुदेश,निर्देशिका और अभिलेख :-

- (अ) कार्यालयीन प्रक्रिया-शाखा लिपिक द्वारा नस्ती तैयार कर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत की जाती एवं नस्ती पर अतिम निर्णय कार्यालय प्रमुख द्वारा दिया जाता है।
- (ब) रोजगार मूलक – अधीसंरचना विकास के कार्य (निर्माण कार्य) का निर्णय जनपद पंचायत की सामान्य सभा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की कार्ययोजना बनाकर लिया जाता है स्वीकृति मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी की जाकर जनपद पंचायत के माध्यम से एजेन्सी (ग्राम पंचायत) को राशि प्रदाय की जाती है।शेश योजनाओं में कार्यो का चयन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव के आधार पर जिला पंचायत द्वारा 12 वॉ वित्त अनुदान योजना में किया जाकर स्वीकृति ग्राम सभा द्वारा जारी की जाती है एवं राशि का प्रदाय जिला पंचायत द्वारा किया जाता है एवं राशि का प्रदाय जिला/जनपद पंचायत द्वारा किया जाता है।सांसद/विधायक "स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कार्यो की अनुशंसा माननीय सांसद/विधायक द्वारा ही कलेक्टर को की जाती है,स्वीकृति कलेक्टर द्वारा जारी की जाकर जनपद पंचायत के माध्यम से एजेन्सी (ग्राम पंचायत) को राशि प्रदाय की जाती है।जनभागीदारी योजना में स्थानीय समुदाय द्वारा प्रस्ताव पेश करने पर कलेक्टर द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है,जनपद पंचायत द्वारा एजेन्सी को राशि प्रदाय की जाती है।उपरोक्त अनुसार एजेन्सी द्वारा किए जाने वाले कार्यो में तकनीकी मार्गदर्शन एवं मूल्यांकन कार्यालय के उप यंत्री द्वारा किया जाता है।
- (स) हितग्राही मूलक – व्यक्तिगत लाभ कि योजनाओं (सामाजिक सुरक्षा पेंशन राष्ट्रीय परिवार योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण)में सामान्यतःग्रामसभा द्वारा हितग्राही का चयन किए जाने के प्रावधान है।आवेदन ग्राम पंचायत द्वारा तैयार कर जनपद पंचायत को भेजे जाते हैं तदोपरान्त प्राप्त आवण्टन अनुसार भुगतान किया जाता है।इन्दिरा आवास योजना की राशि जिला पंचायत द्वारा सीधे ग्राम पंचायतों के खाते में जारी की जाती है एवं स्वर्ण जयन्ति स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण" प्रकरण

सहायक विस्तार अधिकारी द्वारा बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति दी जाती हैं। बैंक से ऋण प्रदाय किया जाता है एवं पात्रतानुसार पश्चातवृत्ति अनुदान राशि जिला पंचायत से सीधे बैंक शाखा को जारी की जाती हैं।

- (द) अन्य कार्य – जनपद क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जाकर कार्य किया जात हैं।
संधारित की जाती हैं।

बिन्दु क्रमांक – 4 नीति निर्धारण व कार्यन्वयन के सम्बन्ध में जनता या जन-प्रतिनिधी से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण

- (अ) सामान्य विवरण – जनपद पंचायत के गठन में सम्मिलित माननीय जन प्रतिनिधीगण (निर्वाचन एवं पदेन सदस्य) की प्रतिमाह न्यूनतम एक सामान्य सभा की बैठक आयोजित की जाती हैं साथ ही गठित सात स्थाई समितियाँ क्रमशः सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, संचार एवं सर्कम समिति, कृषि समिति, सहकारीता एवं उद्योग समिति, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास समिति एवं वन समिति के पदाधिरियों की प्रतिमाह न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जाती हैं। उपरोक्त बैठकों में माननीय जनप्रतिनिधिगण द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन समीक्षा एवं आवश्यक दिशा हेतु प्रदान किये जाते हैं एवं आवश्यकतानुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(ब) पदाधिकारियों का विवरण:-

अध्यक्ष:- श्रीमति लीला गुजराती

उपाध्यक्ष :- भंवरलाल कुमावत

सभापति

स्थायी समिति

(1) सामान्य प्रशासन समिति :- श्रीमति लीला गुजराती

(2) शिक्षा समिति :- श्री भंवरलाल कुमावत

(3) कृषि समिति :- श्रीमति लालकुंवर शर्मा

(4) संचार एवं सर्कम समिति :- श्री कारूलाल परिहार

(5) सहकारिता एवं उद्योग समिति :- श्री लालसिंह

(6) स्वास्थ्य महिला एवं :- श्रीमति उशादेवी छाजेड़

बाल विकास समिति

(7) वन समिति :- श्री सीताराम धाकड़

- (स) अन्य विवरण – जनप्रतिनिधियों को निर्णय लेने के अधिकार का विवरण

(1) रोजगार मूलक –

योजना का नाम	अधिकार का विवरण	निर्णय लेने का अधिकार
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (ग्राम पंचायत स्तर)	निर्माण कार्य का चयन	ग्रामसभा
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (जनपद पंचायत स्तर)	निर्माण कार्य का चयन	जनपद पंचायत की सामान्य सभा
12 वॉ वित्त अनुदान योजना	निर्माण कार्य का चयन	ग्रामसभा
जनभागीदारी योजना	निर्माण कार्य का चयन	ग्रामसभा

(2) हितग्राही मूलक –

योजना का नाम	अधिकार का विवरण	निर्णय लेने का अधिकार
स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
इन्दिरा आवास योजना	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
राष्ट्रीय परिवार सहायता	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण	हितग्राही चयन	ग्रामसभा
समग्र स्वच्छता अभियान	हितग्राही चयन	ग्रामसभा

बिन्दु क्रमांक:- 5 लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेदजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

- (अ) अधिनियम:- म.प्र.पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993
- (ब) नियम:- नियम 1994
नियम एवं अधिनियम 1995
नियम एवं अधिनियम 1996
नियम 1997
नियम 1998
नियम 1999
नियम 2000
नियम 2001
म.प्र.ग्राम स्वराज नियम 2005
विधियों का अनुकूलन आदेश 2000 (सम्मिलित नियम)
- (स) जनपद पंचायत का सामान्य सभा एवं स्थाई समितियों की बैठक का कार्यवृत्त एवं पारित संकल्प
- (द) कार्यालयीन अभिलेख नस्ती एवं पंजीयाँ

बिन्दु क्रमांक:- 6 बोर्ड परिशदों,समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

जनपद पंचायत के लिए गठित निर्वाचित निकाय का विवरण

संस्था का नाम :-	जनपद पंचायत पिपलौदा
संस्था का प्रकार :-	निर्वाचित एवं पदेन सदस्य द्वारा
संस्था का परिचय :- पंचायत	त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अन्तर्गत मध्यस्तर की
संस्था की भूमिका:-	निर्वाचित एवं पदेन सदस्यों द्वारा पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्णय,समीक्षा
स्वरूप एवं वर्तमान सदस्य:-	निर्वाचित,कुल सदस्य संख्या 19 निर्वाचित 19 पदेन
मुख्य अधिकारी का नाम :-	गोवर्धनलाल मालवीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मुख्य कार्यालय :-	जनपद पंचायत पिपलौदा
बैठक की आपूर्ति :-	प्रतिमाह न्यूनतम एक
क्या बैठक में जनता भाग :- ले सकती हैं ?	नही
क्या बैठक का कार्यवृत्त :- तैयार किया जाता है ?	हाँ
क्या जनता बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त कर सकती हैं।हाँ तो प्रक्रिया:-	हाँ सूचना के अधिकार के तहत अवलोकन एवं प्रतिलिपि

बिन्दु क्रमांक:- 7 लोकसूचना अधिकारियों के नाम पदनाम एवं अन्य विशिष्टियाँ

लोक सूचना अधिकारी:-

क्रं.	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
	गोवर्धनलाल मालवीय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	07414	262223	262271	262375		कार्यालय जनपद पंचायत पिपलौदा

सहायक लोक सूचना अधिकारी:-

क्रं.	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	एम.एल. चौहान	पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठक	07414	262223	262271	262375		कार्यालय जनपद पंचायत पिपलौदा

विभागीय अपीलेट अथोरिटी:-

क्रं.	नाम	पदनाम	STD कोड	दूरभाष		फैक्स	ई.मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1	संतोश वर्मा	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	07414	221100	230101			कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जावरा

बिन्दु क्रमांक:- 8 निर्णय लेने की प्रक्रिया

- (अ) जनपद पंचायत के निर्वाचित / पदेन पदाधिकारियों द्वारा बैठक में पारित संकल्प एवं मार्गदर्शन।
 (ब) मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा शासन के नियम, निर्देशों के तहत।

बिन्दु क्रमांक:- 9 अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रं.	नाम	पद	दुरभाश	पता
1	गोवर्धनलाल मालवीय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	262271,262223	कार्यालय जनपद पंचायत पिपलौदा
2	एम.एल.चौहान	पंचायत एवं सामाज शिक्षा (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	तदैव	तदैव
3	जगदीशचन्द्र चतुर्वेदी	उपयंत्री	तदैव	तदैव
4	संजय मेहर	उपयंत्री	तदैव	तदैव
5	दिलीप मेहता	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
6	मदनलाल सांसरी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	तदैव	तदैव
7	कैलाश हेमावत	सहायक वर्ग-3	तदैव	तदैव
8	सतीश अवरथी	सहायक वर्ग-2	तदैव	तदैव
9	कैलाश मालवीय	सहायक वर्ग-2	तदैव	तदैव
10	महेन्द्रसिंह गिरनार	सहायक वर्ग-2	तदैव	तदैव
11	रामकिशन चौहान	सहायक वर्ग-3	तदैव	तदैव
12	योगेश विश्वकर्मा	सहायक वर्ग-3	तदैव	तदैव
13	राधेश्याम चौहान	वाहन चालक	तदैव	तदैव
14	शंकरलाल आसवानी	भृत्य	तदैव	तदैव
15	लालचन्द राठेर	भृत्य	तदैव	तदैव

बिन्दु क्रमांक:- 10 प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति

क्रं.	नाम	पद	परिलब्धियाँ	पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति जो नियमावली में दी गई
1	गोवर्धनलाल मालवीय	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	5500-9000	मध्य प्रदेश शासन सक्षम अधिकारी द्वारा नियम अनुसार
2	एम.एल.चौहान	पंचायत एवं सामाज शिक्षा (अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी)	4000-6000	तदैव
3	जगदीशचन्द्र चतुर्वेदी	उपयंत्री	8000-12000	तदैव
4	संजय मेहर	उपयंत्री	5000-8000	तदैव
5	दिलीप मेहता	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
6	मदनलाल सांसरी	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	4500-7000	तदैव
7	कैलाश हेमावत	सहायक वर्ग-3	4000-6000	तदैव
8	सतीश अवस्थी	सहायक वर्ग-2	4000-6000	तदैव
9	कैलाश मालवीय	सहायक वर्ग-2	4000-6000	तदैव
10	महेन्द्रसिंह गिरनार	सहायक वर्ग-2	4000-6000	तदैव
11	रामकिशन चौहान	सहायक वर्ग-3	3050-4590	तदैव
12	योगेश विश्वकर्मा	सहायक वर्ग-3	3050-4590	तदैव
13	राधेश्याम चौहान	वाहन चालक	3050-4590	तदैव
14	शंकरलाल आसवानी	भृत्य	2550-3200	तदैव
15	लालचन्द राठेर	भृत्य	2550-3200	तदैव

बिन्दु क्रमांक:- 11 प्रत्येक अधिकरण आवंटित बजट (योजनाओं व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की जानकारी)

(अ) वित्तीय :-

क्रं.	योजना का नाम	1.04.06 को अवशेष राशि (लाखमें)	वर्ष 06-07 में प्राप्त आवण्टन (लाखमें)	कुल उपलब्ध आवण्टन	माह दिसम्बर 2006 तक व्यय
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नगद खाद्यान्न	9.15	27.86 क्वि.	37.01 क्वि.	26.30 क्वि.
2	11 वॉ वित्त अनुदान	---	0.90	0.90	0.90
3	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	1477234	1907358	3384592	2771207
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	90602	699608	790210	537900
5	जनभागीदारी निधि	0	0	0	0
6	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	0	53.00	53.00	30.25
7	इन्दिरा आवास 90%	24.25	24.25	24.25	24.25
	इन्दिरा आवास 10%	2.15	2.15	2.15	2.15
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	66900	682000	748900	502400
9	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	10000	180000	190000	100000
10	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	0	0	0	0
11	राष्ट्रीय वृदावस्था पेंशन योजना	15400	216600	232050	196350
12	आदिवासी विकास योजना	0	0	0	0
13	जनसम्पर्क निधि	0.06	---	0.39	0.67
14	समग्र स्वच्छता अभियान	4670-82	32,50000	32,54670	24,41560

(ब) भौतिक:-

क्रं.	योजना का नाम	1.0406 को शेष	वर्ष-06-07 में स्वीकृत	कुल	पूर्ण	माह दिसम्बर 2006 तक प्रगति
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	26	21	47	26	21
2	11 वॉ वित्त अनुदान योजना	—''—	01	01	01	कार्यपूर्ण
3	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	34	19	53	36	17
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	12	11	23	15	8
5	जनभागीदारी निधि	0	0	0	0	0
6	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	0	0	0	4	30.25
7	इन्दिरा आवास योजना नवीन -194	10	194	204	10	194
	उन्नयन-45	03	45	48	03	43
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	221	18	239	---	239
9	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	01	18	19	---	10
10	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	0	0	0	0	0
11	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	292	04	296	---	296
12	जनसम्पर्क निधि					
13	समग्र स्वच्छता अभियान	950	345	1295	304	646
	शालाए स्वच्छता अभियान	89	63	152	82	70

बिन्दु क्रमांक:- 12 अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों की क्रियान्वयन रीति

क्रं.	योजना का नाम	अनुदान राशि
1	सम्पूर्ण ग्रामी रोजगार योजना	निर्माण कार्य शत प्रतिशत अनुदान
2	12 वॉ वित्त अनुदान योजना	निर्माण कार्य हेतु 85 प्रतिशत अनुदान
3	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	निर्माण कार्य हेतु शत प्रतिशत अनुदान
4	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि	निर्माण कार्य हेतु शत प्रतिशत अनुदान
5	जनभागीदारी निधि	निर्माण कार्य हेतु 50 प्रतिशत अनुदान
6	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	स्वरोजगार हेतु ऋण प्रोजेक्ट अनुसार अनुदान समूह को रु.125000/-पश्चातवृत्ति व्यक्तिगत अधितम 10000/-
7	इन्दिरा आवास योजना	नवीन अवास निर्माण हेतु अनुदान रूपए 25000/-उन्नयन हेतु अनुदान रु. 10000/-
8	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	रूपए 150/- प्रतिमाह पेंशन
9	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	पात्रतानुसार परिवार को रूपए 10000/-एकबार
10	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	पात्रतानुसार महिला को रूपए 500/- दो बार
11	समग्र स्वच्छता अभियान	पात्रतानुसार व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु रूपए 1200/-

नोट:-योजनान्तर्गत एक वर्ष के लाभान्वित हितग्रहीयों की सूची कार्यालय में उपलब्ध हैं।

—00—

बिन्दु क्रमांक :- 13 रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं के संबंध में विवरण

इस कार्यालय द्वारा 10 हेक्टर से 100 हेक्टर तक की सीमा के तालाबों को मत्स्य पालन हेतु कलेक्टर के अनुमोदन से अनुज्ञा (पट्टा)पर दिये जाने का कार्य किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक:- 14 कृत्यों के निर्वहन के लिए स्थापित मानक/नियम

क्रं.	योजना का नाम	मानक/नियमों का विवरण
1	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित नियमावली,निर्देश
2	12 वॉ वित्त अनुदान योजना	तदैव
3	जनभागीदारी निधि	तदैव
4	स्वर्ण जयन्ति ग्राम स्वरोजगार योजना	तदैव
5	इन्दिरा आवास योजना	तदैव
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	तदैव
7	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	तदैव
8	राष्ट्रीय मातृत्व कल्याण योजना	तदैव
9	समग्र स्वच्छता अभियान	तदैव

बिन्दु क्रमांक:- 15 इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित कार्य एवं हतिग्राहीयों की जानकारी कार्यालय के कम्प्यूटर में उपलब्ध रहेगी।

—00—

बिन्दु क्रमांक:- 16 सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

कार्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

1. समाचार पत्र द्वारा
2. सूचना पटल
3. अभिलेखों का निरीक्षण
4. प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर

बिन्दु क्रमांक:- 17

अन्य उपयोगी जानकारियाँ

सूचना प्राप्त करने के संबंध में:-

आवेदन पत्र	शुल्क	सूचना आवेदन पत्र पर किस तरह से माँगी जाये	सूचना न देने व अपील करने के संबंध में नागरिक के अधिकार व अपील करने की प्रक्रिया
लिखित	शासन द्वारा निर्धारित	जो जानकारी चाही गई है उसका विशेष उल्लेख करते हुए आवेदन दिया जावे	अपीलीय अधिकारी को अपील की जा सकती है

—00—

(गोवर्धनलाल मालवीय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत पिपलौदा,